बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 19/01/2011

अधिसूचना संख्या-17/ए3-19/2010- 53(17) /स्वा0, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली-2008 के आलोक में **मनोरोग विभाग में सिनियर** रेजिडेन्ट के टेन्योर पदों पर नियुक्ति हेतु वेतनमान रू0 9300-34800/- में निम्न शर्तों के अधीन उनके नाम के सामने अंकित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में नियुक्त की जाती है । यह नियुक्ति मात्र चार वर्षों के लिए होगी ।

2. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरान्त वैसे पदधारक जो बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्य है, उनके द्वारा धारित टेन्योर पद स्वतः समाप्त हो जायेगा और वे अपने पैतृक संवर्ग में वापस हो जायेगें । वैसे चिकित्सक जो राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्य नहीं है, उनकी टेन्योर समाप्ति के पश्चात वे उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे जब तक कि उन्हें इस नियमावली के तहत किसी नये पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है ।

3. संबंधित स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रही है, वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पद पर पदस्थापन अवधि में देय होगा । वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जाएगी । वाह्य नियुक्त चिकित्सकों को वेतनमान के अलावे मँहगाई भत्ता, आवास भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता एवं सरकार द्वारा अन्य अनुमान्य भत्ता देय होगा ।

4. संबंधित चिकित्सकों को निदेशित है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर पत्र निर्गत के 10(दस) दिनों के अंदर निश्चित रूप से कार्यभार ग्रहण कर लें । उक्त अवधि के अंदर यदि कार्यभार ग्रहण नहीं करते है तो उनके दावे मान्य नहीं होगें ।

मनोरोग विभाग

क्रमांक	नाम एवं पता	पदस्थापित महाविद्यालय/ अस्पताल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	डा0 मनीष कुमार, रिनपास, काँके, राँची, झारखंड	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना	
2	डा० संजय कुमार, द्वारा, नीतिन निकेतन नयाटोला, स्पीकर चौक, मुजफ्फरपुर-842001,	श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर	
3	डा0 संतोष कुमार, जी0बी0 पन्त अस्पताल, नई दिल्ली	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय	
4	डा0 मृत्युजंय कुमार मिश्रा, सिनियर रेजिडेंस (संविदा) नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर	
5	डा0 संतोष कुमार साह, लेडि हार्डिग मेडिकल कॉलेज नई, दिल्ली	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया	
6	डा0 सतीश कुमार सिन्हा, सहायक प्राध्यापक (संविदा) अनु0ना0मगध मेडिकल कॉलेज, गया	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालंदा	

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19-01-11

(मदन प्रसाद)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक-17/ए3-19/2010- 53 (17) /स्वा0, पटना, दिनांक- 19/01/2011

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना / अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार / सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

19.01.11

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक-17/ए3-19/2010- 53 (17) /स्वा0, पटना, दिनांक- 19/01/2011

प्रतिलिपि- सभी प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि नव नियुक्ति चिकित्सक के प्रमाण पत्र की जॉच अपने स्तर से करने के बाद ही उनका योगदान स्वीकार करेंगें तथा निर्धारित तिथि के दूसरे दिन फैक्स / विशेष दूत के माध्यम से निश्चित रूप से विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे ।

प्रतिलिपि- मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1,2,3,7,10 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी संबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे निर्धारित समय-सीमा के अंदर योगदान कर योगदान प्रतिवेदन की दो प्रतियाँ सीधे विभाग को भेजे । सभी नियंत्री पदाधिकारी को निदेशित है कि संबंधित चिकित्सकों को नव पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व विरमित कर दें ।

19.01.11

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

AK. 19.01.2011